

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

11/6/18

वादी की ओर से यह वाद-पत्र बगीच की अम्पेदाशीह जी ने वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 R.A. 1950 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर्ड है। प्रतिवादीगण को समन जारी होकर पचासवीं दिनांक 12/6/18 को पेश है।

~~सहायक जज~~
(अ.३.०.) बल्लोतरा

7/6/18

पचासवीं आज वादीगण के अर्पना पत्र पेश होने पर सम्बन्ध लोक अदालत केम्व शंपरा में पेश हुई।

वादी ने वाद-पत्र पेश कर साक्षीय रूप से जाहिर किया है व अर्पना पत्र अपकी राजीनामा आदेश 23 नियम 3 की नी नी का पेश कर जाहिर किया की धारा पुस्तकी रेत खतरा नं 15, 190 नं 117, ~~ख. नं 121~~, ख. नं 122, ख. नं 150, 190 नं 525/149, ख. नं. 530/152, रम्बा कुमरा 5.05 बीघा 27.07 बीघा, 22.02 बीघा, 12.13 बीघा

धेवर चन्द
बालाराम

1000th/11/18/18
3/11/18

35.07 बीघा, 9.00 बीघा, 14.14 बीघा
 कुल खसरे 7 कुल रकबा 126.08 बीघा
 सरहद मौजा इरपुरा में स्थित है जो
 थाना एव- जगन्नाथराम के स्वतन्त्रता की थी,
 कृपयात जारीय जेतनी नाथान्तरण के
 थानारामजी के नाम अंकित है व
 थानाराम के एव वारीगज आपदा
 पुत्र-पुत्रिया है। इन पुत्र अत भूमि
 पुत्रेनी होने व वारीगज की संपुजन
 हिन्दू स्वतन्त्रता के होने के कारण
 सही का बराबर- बराबर एक
 हिस्सा है।

धर
 सी
 भैराराम
 ररका

पुत्रिया
 थानाराम

येन पसमारन उपलिन ।
 उपलिन पसमारन को राजीनामा व
 इबारत के पत्रवर सुनाया गया
 जिन्होंने राजीनामा की इबारत को
 सही होना स्विकार किया बाद
 जान्य राजीनामा तस्वीर किया जाता है
 आदेश राजीनामा वार स्विकार
 कर आदेश दिया जाता है की इन्हा
 आराजीयत में वारीगज व पुत्रियागज
 के नाम 115 हिस्सा स्वतन्त्रता में
 रूनी करने का आदेश दिया जाता
 है। इन्ही अनुसार डिडी जारी है।
 पत्रावली पत्राव सुभार होकर
 शान्ति रफतर है।
 निम्न अण्ड सपदा लोक अदालत
 के पत्र सपदा में सुनाया जाता।

(भागीरथ राम)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपसचिव अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतस कैम्प.....